तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म तामील में जारी हुये
15.12.17	बकील वादी उपस्थित। प्रतिवादी व उनके अभिभाषक उपस्थित नहीं। कई बार आवाजें लगवाये जाने के बावजूद भी वादी व उनके अभिभाषक उपस्थित नहीं आये, अतः उनके विरूद्ध इकतरफा कार्यवाही अमल में लायी जाती है। विभाजन प्रस्तावों पर बहस बकील वादी सुनी गयी। वादी के द्वारा विभाजन प्रस्तावों को सही होना स्वीकार किया एवं मुताविक विभाजन प्रस्ताव दावा को डिक्री किये जाने का निवेदन किया। तहसीलदार धौलपुर से प्राप्त विभाजन प्रस्तावों एवं पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया। जमावन्दी सम्वत 2065—68 ग्राम मनियां के अनुसार आराजी खसरा नम्बर 656 में वादीगण हि0 1/2 की सह खातेदार काश्तकार है। उपरोक्त हिस्सा अनुसार खाते में वादी का हिस्सा 1 वीघा होता है। विभाजन प्रस्तावों में वादीगण को 1 वीघा भूमि ही दी गयी है। अतः उक्तानुसार विभाजन प्रस्ताव रिकार्ड अनुसार सही हैं। वादी ने इन पर अपनी सहमति जाहिर की है तथा प्रतिवादी अपना पक्ष रखने को उपस्थित नहीं आये हैं। इस प्रकार मुताविक विभाजन प्रस्ताव दावा वादी हम अन्तिम डिक्री किया जाना उचित समझते हैं। अतः आदेश है कि दावा वादीगण मुताविक विभाजन प्रस्ताव डिक्री किया जाकर आराजी खसरा नम्बर 656/1 रकवा 1 वीघा दक्षिण दिशा ग्राम मनियां का वादीगण विमलादेवी पत्नी बनवारीलाल, बबिता पत्नी बनवारीलाल जाति वैश्य सा.देह रहन पीएनबी शाखा मनियां एवं आराजी खसरा नम्बर 656/1 रकवा 1 वीघा दिशा उत्तर ग्राम मनियां का मटरूमल पुत्र गिरन्द सिंह निवासी मनियां, गुलजारी पुत्र कमलसिंह सा. मोरोली तहसील धौलपुर जाति गुर्जर को खातेदार काश्तकार घोषित कर तदनुसार राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज कर खाता पृथक कायम किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। पक्षकारान के रहन के इन्द्राज बदस्तूर रहेंगे। मुद्रांक शुल्क पेश करने पर पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैशल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 15.12.17 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। सहायक कलक्टर (मु0) धौलपुर	

Scanned by CamScanner